A29

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्याः– 912/XVII-3/14-07 (09)/12

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक 29 सितम्बर, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद हरिद्वार के लक्सर में राजकीय आई0टी0आई0 भवन के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासन के पत्र संख्या–13, दिनांक 03 जनवरी, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के शासनादेश संख्या–3/20(2)/2008-PP-I दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा प्रदान किये गये वित्तीय स्वीकृति में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप जनपद हरिद्वार के राजकीय आई0टी0आई0 लक्सर के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा को दृष्टिगत रखते हुए **रू0 388.68 लाख (रू0 328.06 लाख सिविल कार्य हेतु + रू0 60.62 लाख अधिप्राप्ति के कार्यों हेतु)** की धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रथम किश्त के रूप में **रू0 194.34 (रू0 एक करोड़ चौरानबे लाख चौतीस हजार मात्र)** की धनराशि जारी की गयी थी।

वर्तमान में भारत सरकार के शासनादेश संख्या–3/20(2)/2008–PP-I दिनांक 16 सितंबर, 2014 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवमुक्त द्वितीय किश्त रू0 194.34 लाख के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014–15 में **रू0 194.34 लाख (रू0 एक करोड़ चौरानबे लाख चौतीस हजार मात्र)** की औचित्यपूर्ण धनराशि पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318 दिनांक 18 मार्च, 2014 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. उक्त भारत सरकार के शासनादेश संख्या–3/20(2)/2008-PP-I दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के साथ संलग्नक एनेक्सरों एवं प्रदत्त निर्देशों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाये। उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तान्तरित करा लिया जाना सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
3. उ0प्र0रा0नि0 निगत द्वारा एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय के अंतर्गत भवन कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाये।
4. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्ज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। कार्य हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के पूर्व संतोषजनक व्यय विषयक आख्या प्राप्त होने पर ही वर्तमान में स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी।
6. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। आंगणन में प्राविधानित व्यय करने से पूर्व उक्त हेतु उत्तराखण्ड

आधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निहित उपबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अव्ययित अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। **यदि अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत अधिक धनराशि की आवश्यकता पडती है तो तकनीकी शिक्षा विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षकों/मदों से इसकी पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।**

7. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से जी गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
8. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
9. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
10. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
11. कार्य के प्रगति को निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–2250–800–01–01–अल्पसंख्यकों हेतु मल्टीसेक्टोरल विकास योजना (संलग्न तालिका) के मानक मद–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जाएगा।
13. यह आदेश अलोटमैंट आई डी संख्या–S1409150192 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–812(1)/ XVII-3/14-07 (09)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः–

1. महालेखाकर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी–हरिद्वार।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. नोडल अधिकारी, आई0 टी0 इनेबल्ड सेल, देहरादून।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Minority Welfare (S064)

आवंटन पत्र संख्या - **812/XVII-3/14-07(09)/2012**

अलोटमेंट आई डी - **S1409150192**

अनुदान संख्या - **015**

आवंटन पत्र दिनांक -24-Sep-2014

HOD Name - Director Minority Welfare (4132)

1: लेखा शीर्षक 2250 - अन्य सामाजिक सेवायें

800 - अन्य व्यय

01 - अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना (60

00 -

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/ऋण	1445000	19434000	20879000
	1445000	**19434000**	**20879000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 19434000

भूपेन्द्र सिंह बोरा
उपसचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
महाराष्ट्र शासन